

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 वि0 शक्ति -2023/2005-531 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-08/12/14

प्रेषण शाखा
असूचना
06-12-14

विभागीय अधिसूचना सं0-455(3) दिनांक-22.10.14 के द्वारा अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद पर प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर श्री भागवत सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता, वारसोई, कटिहार को अगले आदेश तक के लिए प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गया के पद पर स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया है। भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भागवत सिंह प्रभारी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गया को भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 (2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 तथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

4. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

5. यह शक्ति श्री सिंह द्वारा उक्त पद पर योगदान की तिथि से प्रदत्त मानी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 वि0 शक्ति -2023/2005-531 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-08/12/14

ई मेल/फैक्स

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्ता, गया/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 वि0 शक्ति -2023/2005-531 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-08/12/14

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),

सरकार के अपर सचिव।